https://abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267558
CG-DL-E-11112025-267558

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/ कार्तिक 19, 1947
No. 724]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/ KARTIKA 19, 1947

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सं. 1-सीए (7)/236/2025 .—भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में तारीख 08 अक्तूबर, 2025 से भिवाड़ी शहर (राजस्थान) में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करती है ।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की भिवाड़ी शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय भिवाड़ी शहर (राजस्थान) में अवस्थित होगा । शाखा के अधिकार क्षेत्र में भिवाड़ी शहर के अतिरिक्त, भिवाड़ी शहर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर शामिल होंगे :--

1. टपुकारा
2. तिजारा
3. ख़ुशख़ेडा
4. नीमराणा
5. शाहजहाँपुर (राज.)

https://abcaus.in

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार, यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./458/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

No. 1-CA (7)/236/2025—In pursuance of the Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Central India Regional Council at Bhiwadi city (Rajasthan) with effect from 8th October, 2025.

The Branch shall be known as Bhiwadi Branch of Central India Regional Council and its Headquarters shall be Bhiwadi city (Rajasthan). The Jurisdiction of the Branch shall besides Bhiwadi city, include the following cities/towns falling within a distance of 50 kms from the city limits of Bhiwadi: -

1. Tapukara
2. Tijara
3. Khushkhera
4. Neemrana
5. Shahjahanpur (Raj.)

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./458/2025-26]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सं. 1-सीए (7)/237/2025.—तारीख 14 सितंबर, 2002 से आईसीएआई की पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद की अहमदनगर शाखा की स्थापना को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/68/2002 तारीख 29 अक्टूबर, 2002 को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदनगर शाखा के नाम को परिवर्तित करके आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहिल्यानगर शाखा कर दिया गया है। अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/68/2002 की शेष अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./458/2025-26]

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

No. 1-CA (7)/237/2025.—In partial modification of the Notification no. 1-CA(7)/68/2002 dated 29th October, 2002, notifying the setting up of Ahmednagar Branch of Western India Regional Council of ICAI w.e.f 14th September, 2002. It is hereby notified that the name of Ahmednagar Branch of WIRC of ICAI has been changed as Ahilyanagar Branch of WIRC of ICAI. The rest of the contents of Notification no. 1-CA(7)/68/2002 shall remain unchanged.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./458/2025-26]

https://abcaus.in

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सं. 1-सीए (7)/238/2025.— भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1क) के अनुसरण में तारीख 08 अक्तूबर, 2025 से मोरबी जिला (गुजरात) में पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की मोरबी जिला शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय मोरबी में अवस्थित होगा। निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता संपूर्ण मोरबी जिले पर होगी :--

1. हलवाड
2. मालिया
3. मोरबी
4. टंकारा
5. वांकानेर

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार, यह शाखा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./458/2025-26]

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

No. 1-CA (7)/238/2025.—In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Western India Regional Council at Morbi District (Gujarat) with effect from 8th October, 2025.

The Branch shall be known as Morbi District Branch of Western India Regional Council and its Headquarters shall be at Morbi. The Jurisdiction of the Branch besides the following places shall cover whole District of Morbi: -

1. Halvad
2. Maliya
3. Morbi
4. Tankara
5. Wankaner

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through Western India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./458/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.